संख्या: 278/XXII/16–53(सूचना)/2002

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड–देहरादून।

सूचना अनुभाग–2 देहरादून दिनाँकः 16 सितम्बर, 2016

विषय– उत्तराखण्ड वयोवृद्ध श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 542/सू. एवंलो. स.वि.(प्रेस)16/2015 दि॰ 31.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड वयोवृद्ध श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के संबंध में पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फंड) की अधिसूचना संख्याः–630/XXII/2012–6(2)2011, दिनांक 31.08.2012 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए पत्रकार कल्याण कोष वित्तीय सहायता नियमावली 2012 के नियम–4 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा ही पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. विषयगत संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत शासनादेश संख्याः 223/XXII/16–53(सूचना)/2002, दिनांक 29 अगस्त 2016 में उत्तराखण्ड वयोवृद्ध श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के हेतु प्रस्तर–1 में नामित समिति के स्थान पर अधिसूचना संख्याः–630/XXII/2012–6(2)2011, दिनांक 31.08.2012 के माध्यम से प्रख्यापित "उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए पत्रकार कल्याण कोष वित्तीय सहायता नियमावली 2012" के नियम–4 के अन्तर्गत गठित समिति को एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

3. उत्तराखण्ड वयोवृद्ध श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के शासनादेश संख्याः–223/XXII/16–53(सूचना)/2002, दिनांक 29 अगस्त 2016 को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय

15.9.2016

(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या– (1)/XXII/16–53(सूचना)/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री जी।
2. आयुक्त कुमाऊँ/गढवाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, उत्तराखण्ड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्याः-223 / XXII / 16-53(सूचना)2002

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड-देहरादून।

सूचना अनुभाग-2 देहरादून दिनाँकः 29 अगस्त, 2016

विषयः-उत्तराखण्ड वयोवृद्व श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-292 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रेस) / 16 / 2015, दिनांक 24.05.2016 में किये गये प्रस्ताव एवं सूचना अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना / प्रकीर्ण संख्याः 148 / XXII(2) / 2016-53(सूचना)2002, दिनांक 13 जुलाई, 2016 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वयोवृद्व श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

1. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फण्ड) में जमा मूल धनराशि के अर्जित ब्याज के सापेक्ष ही लाभार्थियों का निर्धारण करते हुए पेंशन का भुगतान किया जायेगा तथा इसके लिये अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी, जिस हेतु एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नवत् पदेन सरकारी / गैर सरकारी सदस्य होगें:-

(1) सूचना मंत्री	अध्यक्ष
(2) महानिदेशक, सूचना	उपाध्यक्ष
(3) अपर निदेशक, सूचना	सदस्य सचिव
(4) वरिष्ठ वित्त अधिकारी,सूचना	सदस्य
(5) पत्रकार प्रतिनिधि-जिसका पत्रकारिता के क्षेत्र में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव हो।	सदस्य (कुल 01)
(6) श्रम विभाग, उत्तराखण्ड से पंजीकृत तथा भारतीय प्रेस परिषद से अधिसूचित पंजीकृत पत्रकार संगठनों के एक-एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा।	सदस्य (कुल 02)

2. पेंशन समिति में नामित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 02 वर्ष का होगा।

3. पेंशन प्राप्ति हेतु पत्रकार को निम्न पात्रता / शर्ते पूर्ण करनी अनिवार्य होगी:-

(क) वह उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो।

(ख) ऐसे पत्रकार, जिसकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो अथवा इससे अधिक हो।

(ग) ऐसे पत्रकार जो किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो, तथा जिनका समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1.5 लाख से अधिक न हो।

(घ) पत्रकारिता अनुभव न्यूनतम 25 वर्ष आवश्यक है ।

(ड़) ऐसे वयोवृद्ध पत्रकार/स्वतंत्र पत्रकार/फोटो ग्राफर/ कैमरामैन जो कम से कम 05 वर्ष तक उत्तराखण्ड राज्य/पूर्ववर्ती उ.प्र. से राज्य/जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त रह चुके हो अथवा न्यूनतम 10 वर्ष श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार रह चुके हों।

4. इस शासनादेश के अन्तर्गत संबंधित पत्रकार को स्वीकृत पेंशन उसकी मृत्यु होने की दशा में उस पर आश्रित पत्नी/पति को इस प्रतिबन्ध के साथ कि वो किसी अन्य पेंशन योजना से आच्छादित न हो तथा उनकी सम्पूर्ण वार्षिक आय ₹1.5 लाख से अधिक न हो, 50 प्रतिशत कम करते हुए उनके जीवन पर्यन्त प्रदान की जायेगी। आश्रित की मृत्यु की दशा में पेंशन स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5. इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति हेतु पत्रकार को महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में संगत अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

6. सूचना विभाग को प्राप्त आवेदन-पत्रों पर समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित दो तिहाई सदस्यों की सहमति से पेंशन स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाएगी, जो अन्तिम होगी। इसे वाद का विषय नहीं बनाया जाएगा। समिति की संस्तुति के उपरांत पात्र संबंधित व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय सूचना मंत्री का होगा।

7. गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत कराई गई पेंशन की धनराशि की वसूली सम्बन्धित पत्रकार से एकमुश्त की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार समिति वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करने में भी सक्षम होगी।

8. शासनादेश के अन्तर्गत पात्र पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन की धनराशि ₹ 5,000/- **(रूपये पांच हजार)** प्रति माह होगी।

9. उक्त आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या संख्याः-101NP/XXVII(5)/दि॰ 26.08.2016 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किए जा रहा है।

भवदीय,
27.8.2016
(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या- (1) XXII(2)/2016-53(सूचना)2002 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री जी।
2. आयुक्त कुमाऊँ/गढवाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, उत्तराखण्ड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।